1992-93	11.20
	(अनुमानित)

(ग) उपकर से प्राप्त धन का उपयोग चाय बोर्ड द्वारा अनेक कार्यकलापों के लिए किया जाता है जिनमें निर्यात संवर्धन, अनुसंधान और विकास तथा श्रम कल्याण योजनाएं शामिल हैं जिससे कि उत्पादन को बढ़ावा मिले तथा निर्यात में वृद्धि हो।

(घ) कुर्सियांग में स्थित अनुसंधान केन्द्र (दार्जिलिंग चाय अनुसंधान केन्द्र) को छोड़कर, जोकि विशेष रूप से दार्जिलिंग चाय की विशिष्ट समस्याओं की जांच करता है, सीधे चाय बोर्ड के अन्तर्गत कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। तथापि चाय के क्षेत्र में मुख्य अनुसंधान केन्द्र है: उत्तर पूर्वी भारत में चाय अनुसंधान संस्था तथा दक्षिण भारत में दक्षिणी भारत का संयुक्त बागान मालिक चाय अनुसंधान संस्थान। इसके अतिरिक्त असम कृषि विश्व विद्यालय, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर तथा कलकत्ता विश्व विद्यालय इत्यादी में अनुसंधान क्रियाकलाप भी किये जाते है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एकत्रित कुल उपकर में से ऐसे अनुसंधान संस्थानों को चाय बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:—

	(लाख रु० में)
1990-91	145.78
1991-92	107.56
1992-93	292.43

(ङ) पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर चाय उत्पादन पर लिए गए उपकर की राशि का निम्नानुसार उपयोग किया गया है:—

निर्यात संवर्धन	44%
प्रशासनिक लागत	37%
अनुसंधान और विकास	17%
श्रम कल्याण	2%

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का संवर्धन

559. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र कहां-कहां अवस्थित हैं तथा इनकी स्थापना पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शत-प्रतिशत व्यापार करने का दायित्व सौंपा गया था;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन एककों द्वारा नियोजित मदों की मात्रा तथा मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त वर्षों के दौरान उनका कुल उत्पादन कितना रहा; और

(ङ) देश से किये गये कुल निर्यात की तुलना में इन एककों द्वारा किए गए निर्यात की प्रतिशतता क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमरुद्दीन अहमद): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संसाधन जोन काण्डला (गुजरात), बम्बई (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), मद्रास (तमिलनाडु), नोयडा (उ० प्र०), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आं० प्र०) में स्थित हैं। अब तक उनके विकास पर 129.74 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) औद्योगिक इकाइयों को अस्वीकृत माल और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए स्वीकार्य माल को छोड़कर अपने समूचे उत्पादन का निर्यात करना आवश्यक होता है।

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में सभी निर्यात संसाधन जोनों का कुल निर्यात निम्नलिखित है:—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु०)
1990-91	982.70
1991-92	1117.14
1992-93	1376.31

(ङ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों से देश के कुल निर्यात का लगभग 3% भाग निर्यात हुआ है।

Export of Fish

560. SHRI RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI'
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of fish collected from the states throughout the country for export purpose;

(b) what was the shares of Gujarat and Bihar;

(c) what is the amount of foreign exchange that has been earned through export of fish during the last three years; and

(d) what steps Government propose to take to promote more export of fish?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) State-wise details of export are not being compiled.

(c) The export of marine products during the last three years were :

Year	Quantity (MTS)	Value (Rs. Crores)
1992-93	208602	1767.43
1991-92	171820	1375.89
1990-91	139419	893.37

(Source : MPEDA, Cochin)

(d) The following strategies are being adopted to increase export earnings from marine products sector :

(1) Development of deep sea fishing and diversified fishing for stepping up export production;

(2) Stepping up production by culture fisheries;

(3) Induction of new technology and value addition;

(4) Modernisation of processing facilities, quality upgradation and waste reduction; and

(5) Aggressive market promotion measures.

Discharging of export obligation by Indian Exporters

561. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA
SHRI MOHINDER SINGH LATHER :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many Indian exporting firms are taking it easy in discharging their export obligation;

(b) whether the exporting firms are resorting to such act by taking advantage of the certain concessions given to them by Government;

(c) whether Government are taking any action to monitor the exporting firms for fulfilment of export obligation; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Export obligations imposed under Duty Exemption Scheme (Advance Licences) and the Export promotion Capital Goods Scheme are being generally fulfilled by the exporting firms.

(c) and (d) Whenever any default is noticed, punitive action under the Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992 is initiated which can result in imposition of fiscal penalty as well as debarment.

Export of Surplus Edible Oil

562. SHRI MISA R. GANESAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there was any proposal to export surplus edible oil; if so, the details thereof;

(b) what has been the production and consumption of each category of edible oil in the country during the last three years, year-wise figures;

(c) what had been the surplus or deficiency of edible oil during this period, year-wise figures;

(d) what had been the peak market price of each category of edible oil in the country during this period and also what is the present market price of each category of edible oil;

(e) whether Government propose to intervene in the market through National Dairy Development Board. If so, what are the steps taken thereof to protect oil seed growers in the country; and

(f) if the answer to above be in the negative, what steps are being taken to maintain market equilibrium ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.